

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :-823/14
संस्थापन दिनांक:-11/11/14
फायलिंग नं. 233504005032014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. बद्रीनाथ तिपा रामनाथ यादव, उम्र 31 वर्ष
2. मेमवतीबाई पति बद्रीनाथ यादव, उम्र 26 वर्ष
 दोनों निवासी डोडावानी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 30.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.11.2014 को समय रात 11:00 बजे ग्राम डोडावानी फरियादी के मकान के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी को अश्लील गालियां देकर साशय अपमानित किया और इस आशय से या संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह लोक शांति भंग करके या अन्य कोई अपराध करे।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 03.11.2014 को रात 11 बजे खाना खाकर परिवार सहित सो गयी थी। तभी अभियुक्तगण की उसे गाली गुप्तार करने की आवाज आयी। अभियुक्तगण उसे गंदी गंदी मादरचोद छिनाल की तू गुण्डा बुलाकर रात भर सुलाती है कहकर गाली गुप्तार कर रहे थे जो उसे सुनने में बुरी लग रही थी। उसने घर के अंदर से ही अभियुक्तगण को गाली गुप्तार देने से मना किया। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 921/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द. सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 504 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

“क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03.11.2014 को समय रात 11:00 बजे ग्राम डोडावानी फरियादी के मकान के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी को अश्लील गालियां देकर साशय अपमानित किया और इस आशय से या संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह लोक शांति भंग करके या अन्य कोई अपराध करे ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 सुरताबाई (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण की पहचान करते हुए प्रकट किया है कि घटना ग्राम डोडावानी स्थित उसके मकान के सामने की रात्रि 11 बजे की है। घटना के समय वह उसके घर पर खाना खाकर सो गयी थी तभी अभियुक्तगण ने उसके घर के सामने आकर उसे जमीन विवाद को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया था। जगदीश (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसकी पत्नी को जमीन विवाद को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन की संपूर्ण घटना का समर्थन नहीं किया है जिस कारण साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस बात को गलत बताया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को उसके घर के सामने आकर गंदी गंदी गाली देकर कहा था कि वह गुण्डा बुलाकर सुलाती है कहकर फरियादी का अपमान किया था।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जमीनी विवाद के कारण जान से मारने की धमकी दी जाना प्रमाणित पाया जाता है जिसके संबंध में अभियुक्तगण को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है परंतु युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील गालियां देकर साशय अपमानित किया और इस आशय से या संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह लोक शांति भंग करके या अन्य कोई अपराध करे। निष्कर्षतः अभियुक्तगण बद्रीनाथ एवं मेमवती को धारा 504 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)